भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4818** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

ओडिशा में सागरमाला परियोजना की प्रगति

†4818. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में सागरमाला परियोजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है और स्वीकृत और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में सागरमाला परियोजनाओं के लिए कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है और उससे अपेक्षित मुख्य लाभ क्या हैं;

(ग) कार्यान्वयन और प्रभाव के संदर्भ में सागरमाला परियोजना के तहत ओडिशा की प्रगति की तुलना देश भर के अन्य राज्यों से किस प्रकार की जाती है; और

(घ) उक्त परियोजना का सुगम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कानून, भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं / किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सागरमाला पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू) की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य देश में पत्तन-आधारित विकास को बढ़ावा देना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सागरमाला योजना के तहत ओडिशा राज्य में 6 परियोजनाओं का आंशिक वित्तपोषण कर रहा है जिनकी लागत लगभग 350 करोड़ रुपए है। पूर्ण परियोजनाओं, इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत और जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय ने अभी तक तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 9,406 करोड़ रुपए की कुल लागत की 119 परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से आंशिक वित्तपोषण के लिए 350 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 6 परियोजनाएं ओडिशा राज्य में हैं। सागलमाला के योजना के तहत ओडिशा राज्य सहित देश में रो-रो/रो-

पैक्स फेरी शहरी जलमार्ग परिवहन के संवर्धन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना शुरू किया है। इन फेरीज से लॉजिस्टिक लागत कम होती है, व्यापार दक्षता बढ़ती है और सड़क परिवहन के लिए स्थायी विकल्प प्राप्त होता हैं। ये दूरस्थ स्थानों को और अधिक सुगम्य बनाकर, पर्यावरण अनुकूल यात्रा विकल्पों को बढ़ावा देकर तटीय पर्यटन को भी प्रोत्साहित करते हैं। सुगम्यता से और अधिक घरेलू तथा धार्मिक पर्यटक आकर्षित होंगे जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं लाभान्वित होंगी।

(घ): सागरमाला वित्तपोषण दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तपोषण के लिए ऐसी परियोजनाओं पर विचार किया जाता है जिनके लिए सभी मंजूरियाँ प्राप्त हो गई हों। और, कार्यान्वयन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मंत्रालय उनके सरोकारों को समझने और उनके मुद्दों का समय पर समाधान करने में मदद करने के लिए समय-समय पर परियोजना आधारित और राज्य स्तरीय बैठकें आयोजन कर राज्य समुद्री बोर्डों (एसएमबी)/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बातचीत करता है। मंत्रालय समय-समय पर समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) की बैठकें आयोजित करता है और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सागरमाला परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बनाने के लिए राज्य सागरमाला समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अनुबंध-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	एमओपीएसडब्ल्यू सहायता (करोड़ रु.)	जारी की गई निधियां (करोड़ रु.)
1	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम – चरण I – ओडिशा	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	पूर्ण	3.72	1.84	1.84
2	चांदीपुर में फिशिंग हार्बर का निर्माण	मत्स्य विभाग, ओडिशा सरकार	कार्यान्वयनाधीन	50.00	12.49	9.99
3	ओडिशा के खुर्दा जिले के बालूगांव और पुरी जिले के कृष्णाप्रसाद गढ़ा में रोपैक्स जेट्टी का निर्माण	पत्तन विभाग, ओडिशा सरकार	कार्यान्वयनाधीन	54.00	22.00	9.25
4	ओडिशा के पारादीप में फिशिंग हार्बर का उन्नयन और आधुनिकीकरण	पारादीप पत्तन प्राधिकरण	कार्यान्वयनाधीन	108.90	49.88	4.49
5	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम – चरण II – ओडिशा	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	कार्यान्वयनाधीन	22.87	22.87	5.70
6.	कनिनाली और तालचुआ, ओडिशा में रोपैक्स जेट्टी और संबद्ध सुविधाएं	पत्तन विभाग, ओडिशा सरकार	कार्यान्वयनाधीन	110.06	50.30	25.15

****